भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1567

09.02.2026 को उत्तर के लिए

आवधिक पर्यावरणीय अनुपालन और निगरानी संबंधी रिपोर्ट

1567. श्री पुष्पेंद्र सरोज :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाचं वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, जिन्हें पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी और जिन्हें आवधिक पर्यावरणीय अनुपालन और निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था;

(ख) ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जो समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहीं या जिन्होंने अपूर्ण, गलत या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की;

(ग) क्या स्व-रिपोर्ट किए गए अनुपालन डेटा को सत्यापित करने के लिए मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वतंत्र सत्यापन या क्षेत्रीय निरीक्षण किए गए थे;

(घ) बार-बार गैर-अनुपालन, गलत रिपोर्टिंग या पर्यावरणीय उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं, जिसमें स्वीकृतियों का निलंबन या जुर्माना शामिल है, के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरणीय स्वीकृतियां धरातल पर वास्तविक अनुपालन में बदलें, उक्त राज्य में स्वीकृति पश्चात् निगरानी, तीसरे पक्ष के सत्यापन और प्रवर्तन क्षमता को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) **से)ङ : (**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त परियोजनाओं की मंजूरी के बाद निगरानी और अनुपालन सत्यापन करता है। पिछले पांच वर्षों में (दिनांक 30.09.2025 तक), उत्तर प्रदेश राज्य में 148 परियोजनाओं/कार्यकलापों को मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए पिछले पांच वर्षों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई पर्यावरणीय मंजूरी का क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना प्रबंधन के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्धारित पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों एवं नियमों के पालन संबंधी अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट संबंधित नियामक प्राधिकरण को परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत

करें। परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, 148 परियोजनाओं, जिनके लिए दिनांक 1 दिसंबर 2025 तक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य थी, में से 111 परियोजनाओं ने अपनी रिपोर्ट जमा की है। देर से जमा करने या अधूरी/त्रुटिपूर्ण रिपोर्टों के मामलों में, नियमित रूप से अनुस्मारक भेजकर अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है और परियोजना प्रस्तावकों को निर्देश भी जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय स्वयं-प्रस्तुत अनुपालन की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु यादृच्छिक निरीक्षण करते हैं और छः-मासिक अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा करते हैं।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय गैर-अनुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5, 15 और 19 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इन उपबंधों के क्रियान्वयन का मार्गदर्शन दिनांक 25.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) द्वारा किया जाता है, जो पर्यावरणीय मंजूरी के बाद परियोजनाओं की निगरानी और अनुपालन हेतु है, जो गैर-अनुपालन के संबंध में कार्रवाई करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसमें स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया, कारण बताओ नोटिस जारी करना और कार्रवाई का निष्कर्ष निकालना शामिल है। हाल ही में, मंत्रालय ने विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के तहत संचालित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनुपालन ढांचे को मजबूत करने हेतु 'पर्यावरण लेखापरीक्षा नियम, 2025' अधिसूचित किए हैं। इसके अलावा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी 'वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और 'जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनयम, 1974' के अनुसार 'संचालित करने की सहमति' और 'स्थापित करने की सहमति' की शर्तों का उल्लंघन होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

*****

"आवधिक पर्यावरणीय अनुपालन और निगरानी संबंधी रिपोर्ट" के संबंध में दिनांक 09.02.2026 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1567 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 तक पिछले पांच वर्षों में प्रदान की गई क्षेत्र-वार पर्यावरणीय मंजूरियाँ (ईसी)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	क्षेत्र-वार वर्गीकरण					कुल
		उद्योग	गैर-कोयला खनन	कोयला खनन	तापीय	अवसंरचना	
1.	2021-22	20	1	0	0	1	22
2.	2022-23	21	1	3	0	3	28
3.	2023-24	32	0	2	2	11	47
4.	2024-25	27	0	2	3	5	37
5.	2025-26 (से 30.09.2025)	6	0	2	2	4	14
	कुल	106	2	9	7	24	148

****